छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001
दूरभाष नंबर :– 0771–4918927
Email:- office.rera.cg@gov.in Website:- https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक–05/रेरा/2018/498 रायपुर, दिनाँक 01/09/2018

//आदेश//

भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 के तहत् निवेश क्षेत्र के भीतर स्थित ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स के रेरा में रजिस्ट्रेशन हेतु प्राधिकरण द्वारा दिनाँक 31 मई, 2018 तक की समय–सीमा प्रमोटर्स को प्रदान की गई थी। इसके पश्चात् दिनाँक 30 जून, 2018 तक रजिस्ट्रेशन हेतु स्वस्फूर्त प्रस्तुत ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स में प्राधिकरण द्वारा पंजीयन शुल्क के 50 प्रतिशत राशि के बराबर तथा जुलाई 2018 से दिनाँक 30 अगस्त, 2018 तक प्रस्तुत प्रकरणों में पंजीयन शुल्क के दो गुणा के बराबर विलंब शुल्क निर्धारित किया गया था।

2. उक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् **दिनाँक 30 सितम्बर, 2018 तक** रजिस्ट्रेशन हेतु स्वस्फूर्त प्रस्तुत **निवेश क्षेत्र के भीतर स्थित** ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स में "निर्धारित पंजीयन शुल्क के साथ पंजीयन शुल्क के **तीन गुणा राशि के बराबर** विलंब शुल्क" निर्धारित किया जाता है, जो न्यूनतम रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) से कम नहीं होगा।

3. उक्त निर्धारित विलंब शुल्क केवल स्वस्फूर्त प्रस्तुत ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स हेतु लागू होगा। प्राधिकरण के संज्ञान में प्राप्त अन्य अपंजीकृत ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स में अधिनियम की धारा–59 के तहत् पृथक कार्यवाही की जा सकेगी।

(मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

01/09/18.
(अजय कुमार अग्रवाल)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर.